

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

सहायक, बिहार लोक सेवा आयोग (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा (वि.सं. 03/2013)

विज्ञापन संख्या 03/2013, सहायक, बिहार लोक सेवा आयोग (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग में सहायक के कुल 25 (पचीस) पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 20.07.2014 को आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर दिनांक 12.09.2014 को प्रकाशित परीक्षाफल के अनुसार सफल घोषित उम्मीदवारों की कुल संख्या 3792 है। इन 3792 उम्मीदवारों में सामान्य कोटि (01) के 2343, अनुसूचित जाति (02) के 595, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04) के 671 एवं पिछड़े वर्ग की महिला (06) कोटि के 110 उम्मीदवार हैं जिनमें 33 विकलांग उम्मीदवार सन्निहित हैं। इसके अतिरिक्त 73 उम्मीदवारों को विकलांगता के आधार पर सफल घोषित किया गया है। आयोग उपर्युक्त सफल घोषित 3792 उम्मीदवारों से मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

मुख्य परीक्षा के आयोजन की तिथि के सम्बन्ध में अलग से सूचना दी जायेगी।

2. मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे।

(क) प्रश्न पत्र 1 : विषय – सामान्य हिन्दी

- इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।
- हिन्दी विषय में अर्हतांक 30 प्रतिशत है जो अनिवार्य है, किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी। जो उम्मीदवार इस विषय में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय {{सामान्य ज्ञान (मुख्य)}} (प्रश्न पत्र-2) का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जायेंगे।
- प्रश्न पत्र-1 की परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी होगा।
- इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या –100 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 (एक) अंक होगा।
- परीक्षा की अवधि 2 घन्टा 15 मिनट की होगी।

(ख) प्रश्न पत्र 2 : विषय – सामान्य ज्ञान

- इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।
- प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी:–
(क) सामान्य अध्ययन – प्रश्नों की संख्या 50 होगी।
(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित – प्रश्नों की संख्या 50 होगी।
(ग) मानसिक क्षमता जाँच – प्रश्नों की संख्या 50 होगी।
- सामान्य ज्ञान मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 (एक) अंक होगा।
- परीक्षा की अवधि 2 घन्टा 15 मिनट होगी।

मुख्य परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम का उल्लेख आयोग की सहायक (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा – 2013 (वि.सं. 03/2013) की कडिका – 12 में किया जा चुका है तथा यह आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> पर भी उपलब्ध है।

3. मेधा सूची – मुख्य परीक्षा की मेधा सूची सामान्य ज्ञान विषय के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जायेगी।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक– 2374, दिनांक–16.7.2007 एवं पत्रांक – 6706, दिनांक– 01.10.2008 के आलोक में मुख्य परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34 (बाँतीस) प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

4. प्रविष्टि:

(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए-4 आकार के कागज पर आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले इंक के बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ-साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।

(क) आवेदन के क्रमांक 1(i) में नाम हिन्दी एवं अंग्रेजी में लिखें, यथा; स्निग्धा/Snigdha इस प्रकार भरें:–

स्	नि	ग्	धा		S	N	I	G	D	H	A	
----	----	----	----	--	---	---	---	---	---	---	---	--

(ख) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें।

(ग) आवेदन की कडिका 2(iii) यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।

(घ) आवेदन की कडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04, पिछड़ा वर्ग के लिये 05 एवं पिछड़े वर्ग की महिला के लिये 06 भरें। पिछड़े वर्ग की महिला से अभिप्राय है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़े वर्ग की महिलाएं।

पिछड़े वर्ग की महिला कोटि की उम्मीदवार अपने मूल कोटि का आरक्षण कोड भी भरे उदाहरणार्थ, यदि उम्मीदवार आरक्षण कोटि अनुसूचित जाति (02) की महिला हैं तो आरक्षण कोड 02, 06 भरें।

उसी प्रकार सभी आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(iii) जो कडिका उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (x) कर दें।

(iv) कडिका 8 "शैक्षिक योग्यता" के अधीन प्राप्तांक/पूर्णांक एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।

(v) कडिका 10 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

(vi) कडिका 11 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (x) कर दें।

5. फोटोग्राफ:

आवेदन-पत्र के पृष्ठ 1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु छोड़े गए खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटैप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। दोनों फोटो एक ही निगेटिव का होना चाहिए। भविष्य में संबंधित परीक्षा के उपयोग हेतु निगेटिव सुरक्षित रखें। फोटो हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन-अस्वीकृति का कारण हो सकता है। फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रेमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।

6. लिफाफा:

(i) लिफाफा के ऊपर विज्ञापन सं. एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना पूरा पता अंकित करें।

(ii) 16x10 से.मी. का स्व-पता लिखित दो लिफाफा, जिनपर 40-40 रुपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

7. **आरक्षण:**

- (i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं.-673, दिनांक-08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी से निर्गत जाति-सह-क्रीमीलेयर में नहीं आने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

8. **शुल्क:**

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 100/- (एक सौ) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 150/- (एक सौ पचास) रुपये तथा अन्य के लिए 375/- (तीन सौ पचहत्तर) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 425/- (चार सौ पचीस) रुपये चालान के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करें। उक्त चालान आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। **चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन के साथ निश्चित रूप से संलग्न करें तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखें। इससे भिन्न किसी अन्य रूप में प्राप्त शुल्क स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।**

9. **अन्य:**

- (i) विहित आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र एवम् अंक पत्र, जाति प्रमाण (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र सहित) एवम् विकलांगता प्रमाण पत्र की छाया प्रति (स्वअभिप्रमाणित) अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
- (ii) **अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं होगा।**

10. **अंतिम तिथि:**

- (i) भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि शुक्रवार, दिनांक 07.11.2014 की संध्या 5.00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।
- (ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन आयोग में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

सचिव,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना